



2026:AHC:16447

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 847 वर्ष 2026

राजवीर

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : पंकज कुमार शुक्ला

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, विनायक वर्मा

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची पुनरक्षित की गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार शुक्ला, सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विनायक वर्मा तथा राज्य की ओर से विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 434 वर्ष 2025, धारा 103(1) बी.एन.एस., थाना झिंझाना, जनपद शामली में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत की प्रार्थना की गई है।
4. अभियोजन कथा के अनुसार, दिनांक 29.08.2025 को लगभग सायं 5:00 बजे आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा सूचक के पुत्र को एक स्थानीय ढाबे पर मारपीट कर जबरन सड़क की ओर ले जाया गया, जहां से मृतक किसी प्रकार उनके चंगुल से निकलकर भागा और एक चलती हुई पिकअप वाहन से लटक गया।
5. आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्तों ने उसका पीछा किया तथा जबरन उसे उक्त पिकअप वाहन से नीचे गिरा दिया, जिससे उसका सिर सड़क से टकरा गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग उन्नीस घंटे की देरी से दर्ज की गई है तथा उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शी गवाहों को बाद में जोड़ा गया है तथा एक प्रमुख गवाह मुनव्वर, जो निशांत के होटल में कर्मचारी है, ने भी अभियोजन कथा का समर्थन किया है, किन्तु उसने आवेदक का नाम नहीं लिया है। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सामान्य एवं अस्पष्ट हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुल पाँच चोटों का उल्लेख है, जिनमें से दो चिरायमान घाव हैं, जो शरीर के महत्वपूर्ण अंग पर हैं। पंचनामा रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि मृतक की मृत्यु दुर्घटना में हुई है। यह तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित अभियोजन कथा का खंडन करता है। पंचनामा रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पूर्व तैयार की गई थी। पंचनामा कार्यवाही दिनांक 30.08.2025 को प्रातः 08:20 बजे पूर्ण हो गई थी। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 31.08.2025 से निरुद्ध है तथा वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
8. सूचक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत प्रार्थना-पत्र का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि चार प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं, जिन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की स्पष्ट रूप से पुष्टि की है, अतः आवेदक जमानत का अधिकारी नहीं है।
9. प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुई देरी तथा पंचनामा रिपोर्ट में घटना को दुर्घटनात्मक बताया जाना ध्यान में रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।
10. आवेदक — **राजवीर**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राशि के निजी मुचलके तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करेगा। रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी—

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों को किसी प्रकार से प्रभावित, भयभीत या दबाव में नहीं डालेगा।
- (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

- 11. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
- 12. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विचारण न्यायाधीश को साक्षियों के कथनों के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

दिनांक : 22 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।